

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR, SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted sri सुरेल केकेडा

S/O, W/O D/O स्व० उखानुस केकेडा Village गौतरा खमहन टोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri कुलदीप डुंगडुंग S/O, W/O D/O स्व० कले भैर डुंगडुंग

Village के उन्दडीह P.S सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 6-6-2015

in Rev, C.N.T. case No २४१ of २०१५-१५

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana & No	Khata No.	plot No	Area (In acres)	Value for Sale
गौतरा	सिमडेगा ४०	१९२	१६७१	२.१७४४६६ ०.०४९०	२,५५,०००/- के लाल पे तालील एमए

चौकी: लांर नं० १६७१

उ०:- लांर नं०-१६८६ रीड

द०:- इली लांर में छोटा गला १०' का कच्चा राला

पू०:- कले भैर कहुआ का खरीडगी इली लांर का अंश

प०:- एम खमहन केकेडा का हिल इली लांर का अंश

Sd..... डी

L.R.D.C.Simdega



Memo No. ३४२(१) Rev. Dated (Simdega the 6/6/2015)

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri सुरेल केकेडा  
पिता स्व० उखानुस केकेडा

Village गौतरा खमहन टोली P.S सिमडेगा District Simdega

For information and needful

डी  
6/6/15  
L.R.D.C. Simdega



01/07/2016

संख्या-1

13/07/2016

# कार्यालय, अंचल अधिकारी सिमडेगा

पत्रांक .....188.....

दिनांक ..18/03/15...

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा / भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा।

विषय :- छोटाणापुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या 281 सन् 2014-15



### 1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

- 1) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्ता) का नाम : सुरेश केरकेडा, पि० - ख० उरवानुस केरकेडा
- ख - जाति : खडिया
- पिता का नाम/पूरा पता : ग्राम-गोतरा (खम्मन टोली), सिमडेगा
- 2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : सुकु खडिया व० मोथा खडिया व० पोंपूस खडिया व० - धोधा खडिया
- 3) जमीनदारी विलियन के पश्चात उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी दार का नाम : 192 उपरोक्त (तर्देन)
- 4) वर्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी दार का नाम : 192 सुकु खडिया व०
- 5) वर्तमान जमाबन्दीदार को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : इतराधिकारी
- 6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक स्वयं
- 7) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : पंजी II रंभत का पोता
- 8) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : धोधा खडिया  
 ↓  
 सुकु खडिया    मोथा खडिया    पोंपूस खडिया  
 ↓  
 उरवानुस खडिया  
 ↓  
 सुरेश खडिया
- 9) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरुद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : X
- 10) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है : X
- ख- लैण्ड शिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित है : X
- 11) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : मकान बनाने हेतु
- 12) जमीन का किस्म एवं ब्योरा : ग्राम/थाना सं०- गोतरा/80    खाता सं०- 192    प्लॉट सं०- 1671    रकबा - किस्म 2.17 ए०    आतासीध मे से 0.08 ए०

- 13) जमीन का मूल्य जो अंश-वगल की उक्त किस्म जमीन विक्री के अनुसार हो : 30,625/-
- 14) जमीन का वर्तमान मूल्य : 2,45,000/-
- 15) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : 15.41 मे से 4.94
- 16) विक्री के बाशिष भूमि : 4.86 ए०



Handwritten signatures and dates, including '13/07/16'.



(2)

### 2. क्रेता के सम्बन्ध में


- १) क - क्रेता का नाम / पिता का नाम  
घर का पूरा पता : कुलदीप हुंगडुंगा, पि० - ल० चलेमेंट  
हुंगडुंगा, ग्राम-के उन्दडीह, खिमडेगा
- ख - जाति : खडिया
- २) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी है ? नहीं किन्तु एक ही थाने के हैं।
- ३) जमीन खरीदने का कारण / आवश्यकता : गृह निर्माण
- ४) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड  
सिलिंग का वाद चला है : X
- ५) उनके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के  
पास कुल जमीन कितनी है :
- ६) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्योरा : X
- ७) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त  
जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य : X
- ८) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन  
की रकब ब्योरा : X
- ९) जिला शिक्षा मंदाधिकारी की अनुमति कि शैक्षणिक संस्था  
के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी  
जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है : X
- १०) अभियुक्ति :  
Co, खिमडेगा



Co, खिमडेगा महाशय, क्रेता व विक्रेता  
दोनों एक ही थाने के हैं तथा दोनों  
आदिवासी समुदाय के क्रमशः (खडिया  
व उयेंव जाति के हैं। विक्री के पश्चात  
भावेदक के हिससे 4.86 ए० भूमि शेष  
बचती है। अतः अग्रेर करिवाई हेतु  
प्रतिवेदन समर्पित।

11.0.15  
D/O  
12/10/15  
गंगा

जिला अवर निवाह  
खिमडा  
खिमडेगा



memo

प्रतिवेदन समुदाय का शिवाई  
खिमडा  
12/10/15



संलग्नक - (4)

अनुमति वाद संख्या 281 आर 8 (11) / 2014-15

श्री मुरेल केरकेट्टा ..... आवेदक।

बनाम

झारखण्ड सरकार.....विपक्षी।



आदेश

आवेदक श्री मुरेल केरकेट्टा पिता-स्व० उरबानुस केरकेट्टा ग्राम-गोतरा खम्हन टोली थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरण:-

मौजा	थाना	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	192	1671	02.14 ए०मेंसे
खम्हन टोली					0.08 ए०

कुल रकबा (शब्दों में) आठ डीसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन मकान बनाने के लिए केता श्री कुलदीप डुंगडुंग पिता स्व० क्लेमेन्ट डुंगडुंग ग्राम-केन्दडीह थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा (जाति खड़िया) को विक्री कर रहे हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो मौजा-सलडेगा थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा के आम जनता एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा जिला-सिमडेगा को आम सूचना दी गई थी। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 188 दिनांक 18.03.2015 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी है उक्त भूमि खतियानी रैयत मुठु खड़िया वो लोया खड़िया वो पौलुस खड़िया पे० धोधो खड़िया के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के वर्तमान जमाबंदीदार खाता संख्या 192 मुठु खड़िया वगैरह के नाम से दर्ज हैं। लगान रसीद आवेदक स्वयं के द्वारा दिया जाता है। आवेदक के अपने हिस्से की भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि को बिक्री कर रहा है। विक्रेता एवं केता दोनो अनुसूचित जनजाति खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि विक्री के पश्चात आवेदक के पास 04.86 एकड़ भूमि शेष बचता है विक्री की जाने वाली इनकी खतियानी भूमि है। जो उन्हें उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त है।

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है। केता की ओर से अंचल अधिकारी सिमडेगा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या 274 दिनांक 01.05.2014 की छायाप्रति प्रस्तुत किया है तथा विक्री की जाने वाली जमीन की चौहदी भी प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा-गोतरा खम्हनटोली, थाना न०-80 थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न० 192 प्लॉट संख्या 1671 रकबा 0.08 एकड़



13/04/16

अज्ञात



जमीन को मकान बनाने के लिए क्रेता श्री कुलदीप डुंगडुंग पिता स्व० क्लेमेन्ट डुंगडुंग  
ग्राम-केन्दडीह थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा को मो० 2,45,000.00 (शब्दों में) दो लाख  
पैंतालीस हजार रुपये मात्र में अपने खुशी राजी से विक्री कर रहा हूँ। उक्त जमीन विक्री करने के  
बाद 04.86 एकड़ जमीन शेष बचती है, जो जीविका के लिए पर्याप्त है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों  
अनुसूचित जन जाति खड़िया जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर  
मौजा- गोतरा खम्हनटोली, थाना न०-80 थाना-सिमडेगा जिला सिमडेगा के अन्तर्गत खाता  
न०192 प्लॉट संख्या 1671 रकबा 0.08 एकड़ जमीन आवेदक श्री मुरेल केरकेट्टा पिता-स्व०  
उरबानुस केरकेट्टा ग्राम-गोतरा खम्हन टोली थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा को क्रेता कुलदीप  
डुंगडुंग पिता स्व० क्लेमेन्ट डुंगडुंग ग्राम-केन्दडीह, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा को स्थानीय  
बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्री करने  
की ..... दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

*De 6/5/15*  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिमडेगा।



*De 6/5/15*  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिमडेगा।

पुनश्च: तालिका तीन प्रति में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन  
पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

*De 6/5/15*  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिमडेगा।



*De 5 = 000*  
F - भूज  
*De 8 = 000*  
योग - 13 = 000  
कुल - तेराह रुपये मात्र।

*13/07/15*

*De 6/5/15*  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिमडेगा।

प्रधान लिपिक

